न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.
राजस्व अपील संख्या : 01/2019
दायरा तिथि : 17.01.2019
आदेश तिथि : 30-7-2019

अपीलान्टः–

1. पुखराज पुत्र स्व. गिरधारीलालजी
2. बाबुलाल पुत्र स्व. गिरधारीलालजी
3. फुलचन्द पुत्र स्व. गिरधारीलालाजी
4. कमलादेवी पुत्री स्व. गिरधारीलालजी तमाम जातिगण लुहार निवासीगण बेडा तहसील बाली जिला पाली (राज0)

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–

1. छोगाराम पुत्र स्व. गिरधारीलालजी जाति लुहार निवासी बेडा तहसील बाली जिला पाली (राज0)
2. सरपंच ग्राम पंचायत बेडा, तहसील बाली जिला पाली (राज0)
3. तहसीलदार, बाली जिला पाली (राजस्थान)

उपस्थिति :–

1. श्री हेमन्त बोहरा.. अभिभाषक अपीलान्ट्स की ओर से
2. श्री गणपतलाल चौधरी..अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या–01 की ओर से
3. रेस्पोडेन्ट संख्या–02 अनुपस्थित
4. तहसीलदार, बाली .... पेरोकार सरकार

–:: आदेश ::– दिनांक : 30-7-2019

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू0राजस्व अधिनियम, 1956
विरूद्व ग्राम बेडा के नामान्तरकरण संख्या 79 दिनांक 13.06.1971
(प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मर्यादा अधिनियम)

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। अपीलान्ट ने पुश्तैनी खातेदारी भूमि ग्राम बेडा चक–01 के हाल खसरा नंबर 1931 जिसके पुराने खसरा नंबर 1818/6 रहे है, के संबध में अपीलान्ट के स्व0 पिता गिरधारीलाल पुत्र कूपाजी की मृत्यु के बाद दाखिल एवं स्वीकृत नामा0करण संख्या 79 दिनांक 13.06.1971 से व्यथित होकर उक्त अपील अंतर्गत धारा 75 भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व रेस्पोडेन्ट पेश की। अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मर्यादा अधिनियम पेश कर अपील अन्दर मयाद होने से विवादास्प्रद नामा0करण संख्या 79 दिनांक 13.06.1971 को निरस्त कर स्व0 गिरधारीलालजी के तमाम वारिशान के नाम नये सिरे से नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया। धारा 5 मर्यादा अधिनियम में अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या–01 के पिता की मृत्यु होने के पश्चात् से लगातार वादग्रस्त भूमि पर उनके विधिक वारिशान की हैसियत से अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या–01 संयुक्त रूप से काबिज होकर बिना किसी रोक टोक के काश्त करते आ रहे है तथा हाल ही में अपीलान्ट की माता खीनी का भी स्वर्गवास हो जाने से तथा अपीलान्ट 01 लगाय 03 अलग–अलग व्यवसाय के सिसिले में बाहर प्रदेश रहते हैं तथा अपीलान्ट संख्या 4 ससुराल रहती है तथा वर्तमान में अपीलान्ट संख्या–01 लगाय 03 उक्त कृषि भूमि की जमाबंदी प्राप्त करने हेतु पटवार हल्का बेडा के पटवारी से सम्पर्क किया एवं रेकर्ड का अवलोकन किया, जिस पर पटवारी हल्का बेडा–01 से अपीलान्ट को यह पूर्ण जानकारी प्राप्त हुई कि उपरोक्त हाल खसरा नंबर 1931 जो पुराने खसरा नंबर 1818/6 से बने है, जो अपीलान्ट के नाम से दर्ज नहीं होकर अकेले रेस्पोडेन्ट संख्या–01 के नाम पर खातेदारी में दर्ज होना बताया। जिस पर अपीलान्ट संख्या–01 ने पटवारी हल्का बेडा व तहसीलदार कार्यालय बाली तथा उप तहसीलदार बेडा से दिनांक क्रमशः 17.12.2018, 19.12.2018 को पुराने रिकॉर्ड व म्यूटेशन की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की और उसके अवलोकन से जानकारी हुई कि रेस्पोडेन्ट्स के नाम से गलत रूप से नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकृत कर दिया है, जिसकी जानकारी होते ही उक्त अपील अपीलान्ट की तरफ से बिना किसी देरी के पेश करना बताया। धारा 5 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र भी पेश किया गया। अपील में वर्णित तथ्यों की पुष्टि में बतौर अभिलेखीय साक्ष्य प्रमाणित प्रतिलिपि नामान्तरकरण संख्या 79 सरहद बेडा दिनांक 13.06.2019, मिलान क्षैत्रफल,जमाबंदी सरहद बेडा संवत् 2027 से 2030, हाल जगाबंदी सरहद बेडा प्रथम के खसरा नंबर 1931, पंचायत प्रमाणि पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र खीमीबाई, नोटिस दिनांक 8.12.2018, नोटिस, जवाब नोटिस पेश किये गये।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

उप - खण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner

राजस्व अपील संख्या 01/2019 अनवान पुखराज वगैरा बनाम छोगाराम वगैरा
अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956
(प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मर्यादा अधिनियम)

प्रस्तुत अपील **Subject to Limitation** दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–02 सरपंच ग्राम पंचायत बेडा बावजुद सम्मन तामील के वकालत/असालतन उपस्थित नहीं हुये है, जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या–02 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या–01 की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी ने वकालतनामा प्रस्तुत कर धारा 5 मर्यादा अधिनियम के प्रार्थना पत्र का जबाव पेश किया।

अपने जवाब में अधिवक्ता रेस्पोडन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को अस्वीकार कर निवेदन किया कि अपीलान्ट व रेस्पोडन्ट संख्या–01 के पिता की मृत्यु कब हुई इसके बारे में अपीलान्ट ने कोई तारीख, मिती, सन्, संवत् नहीं लिखा हैं। इनके पिता की मृत्यु के बाद अपीलान्ट का संयुक्त रूप से वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करने का कथन सरासर गलत व झुठा हैं। अपीलान्ट तमाम बाहर कमाते हैं लेकिन गांव बेडा में भी आते जाते रहते हैं। अपीलान्ट की मां खीमीबाई का स्वर्गवास होना स्वीकार हैं। अपीलान्ट के खातेदारी की कृषि भूमि हाल खसरा नंबर 1931 रकबा 1.14 हैक्टर जिसके पुराने खसरा नंबर 1818/6 रकबा 8 बीघा 01 बिस्वा भूमि सैटलमेन्ट के पहले भी अप्रार्थी के खातेदारी की दर्ज रही हैं उपरोक्त भूमि कभी अपीलान्ट के खातेदारी की नहीं रही हैं। जिस कारण अपीलान्ट का यह लिखना कि पटवारी हल्का बेडा से सम्पर्क करने पर एवं रेकर्ड का अवलोकन करने पर अपीलान्टस की जमीन रेस्पोडेन्ट संख्या–01 के नाम खातेदारी दर्ज होने की जानकारी हुई हैं। सैटलमेंट के पुर्व वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या–01 का बहैसियत खातेदार कब्जा एवं काश्त था तथा सैटलमेंन्ट के समय भी रेस्पोडेन्ट संख्या–01 मौके पर भौतिक रूप से काबिज होकर काश्त करता था। जिस कारण उसके नाम खातेदारी दर्ज की गई हैं। सैटलमेन्ट के बाद अप्रार्थी संख्या–01 ने अपने खातेदारी भूमि को सुधार एवं कृषि योग्य उपजाऊ व उपयोगी बनाने हेतु टैक्टर, मशीनो से जमीन को समतल किया इस भूमि के पास में कुआ खुदवाया और भूमि की सिंचाई की, इस सब की जानकारी अपीलान्टस को पिछले 30 वर्ष से अधिक समय से हैं। लेकिन उन्होने कभी भी एतराज नहीं किया क्यों कि अपीलान्ट तमाम को मालुम हैं कि वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या–01 के हक, बन्ट, अधिकार की रही हैं। जिस पर रेस्पोडेन्ट की खातेदारी दर्ज हुई हैं और हाल सैटलमेन्ट के समय भी रेस्पोडेन्ट संख्या–01 खातेदार दर्ज हुआ हैं। इस प्रकार हाल ही में पटवारी हल्का बेडा व तहसीलदार कार्यालय तथा उप तहसील कार्यालय बेडा में दिनांक 17.12.2018 व 19.12.2018 को पुराने रेकर्ड पर मिटेशन की प्रतिलिपी प्राप्त करने पर मिटेशन की जानकारी हुई, होने का कथन सरासर गलत व झुठा हैं जबकि हाल सैटलमेंट के पुर्व ही खातेदारी रेस्पोडेन्ट की दर्ज हो चुकी थी। इस प्रकार म्यूटेशन दिनांक 13.06. 1971 को दर्ज होने के बाद 48 वर्ष तक अपीलान्टस ने कोई उजर एतराज नहीं किया और 48 वर्ष बाद म्यूटेशन को चुनौती दी हैं। जो सरसर गलत हे। नामान्तरकरण की कार्यवाही संक्षिप्त कार्यवाही है यानि " फिस्कल " कार्यवाही है जिसको 48 वर्ष बाद चुनौती देकर खारिज नहीं करवाया जा सकता है। इस प्रकार अपीलान्टस की अपील स्पष्ट रूप से मयाद बाहर होने तथा अपील को देरी से पेश किये जाने एवं डीले को कन्डोन करने का उचित व पर्याप्त कारण नहीं होने से अपीलान्टस की अपील को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र धारा 5 मर्यादा अधनियम का जवाब प्रस्तुत होने पर उभय पक्ष वकुलाय की प्रार्थना पत्र धारा 5 मर्यादा अधिनियम पर बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट श्री हेमन्त बोहरा ने बहस में अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या–01 के पिता गिरधारीलालजी की मृत्यु होने के पश्चात् से विधिक वारिशान की हैसियत से अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या–01 संयुक्त रूप से काबिज होकर बिना किसी रोक टोक के वादग्रस्त भूमि पर काष्त करते आ रहे हैं। अभी हाल ही अपीलान्ट की माता ख़ीमी का स्वर्गवास होने पर पटवारी हल्का बेडा से सम्पर्क करने एवं रेकर्ड का अवलोकन करने पर प्रथम बार अपीलान्ट को यह जानकारी हुई कि पुश्तैनी भूमि बेडा के हाल खसरा नंबर 1931 जो कि पुराने खसरा नंबर 1818/6 से बने है, के राजस्व रेकर्ड में अपीलान्टस का नाम दर्ज नहीं है। जो जानकारी होते ही तहसील कार्यालय बाली व उप तहसील कार्यालय बेडा से रिकॉर्ड नकले प्राप्त कर बिना किसी देरी के जानकारी में आते ही धारा 5 मर्यादा अधिनियम के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के साथ उक्त अपील प्रस्तुत की गई है। जो अपील अन्दर मयाद होने से डीलो को कन्डोन किये जाने की दलील दी गई। अपनी दलीलो के समर्थन में विद्वान् वकील श्री हेमन्त बोहरा निम्न कानूनी उद्धहरण पेश किये गये:–

1. **RRT 2018 (1) K. Subbarayudu v/s. special deputy collector** पेज 601 से 605
जिसके अनुसार परिसीमा अधिनियम, 1963–धारा 5–भू अर्जन अधिनियम, 1984 –धारा 54– विलम्ब का शमन–3671 दिनों की अपील पेश करने में विलम्ब– जब अपीलाण्ट पर लापरवाही आरोपित न हो तो पर्याप्त कारण का उदार अर्थनव्यन लेना चाहिये जिससे सारभूत न्याय दिया जा सके– निर्णित, विलम्ब शमन किया।

.2. **RRT 2017 (2) Omprakash v/s. Hariram** पेज 1401 से 1406
जिसके अनुसार राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956–धारा 135 व 230– नामान्तरकरण– एस.डी.ओ ने नामान्तरकरण संख्या 303 रद्द किया और तहसीलदार को मामला प्रति प्रेषित किया– संभागीय आयुक्त ने एस.डी.ओ. का आदेश अपास्त किया– नामान्तरकरण के विरूद्व 31 वर्ष बाद अपील पेश की– ग्राम पंचायत ने क्षेत्राधिकार के बाहर आदेश पारित किया–निर्णीत, ग्राम पंचायत व सम्भागीय आयुक्त द्वारा पारित आदेश अपास्त किये तथा एस.डी.ओ. द्वारा पारित आदेश रेस्टोर किया।

पेज लगातार...03

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली - पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

राजस्व अपील संख्या 01/2019 अनवान पुखराज वगैरा बनाम छोगाराम वगैरा
अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956
(प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मर्यादा अधिनियम)

3- RRT 2016 (1) Ladu v/s.Smt. Saroli पेज 371 से 374

जिसके अनुसार राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956– धारा–135 नामान्तरकरण– मूल खातेदार'बी' की मृत्यु के बाद वारिसान के पक्ष में नामान्तरकरण तस्दीक किया– नामान्तरकरण के विरूद्व अपील खारिज की– चार पुत्रों के बजाय दो पुत्र "टी" तथा "डी" के नाम नामान्तरकरण तस्दीक किया– सभी चार वारिसान के नाम नामान्तरकरण खोलना चाहिये– मौखिक बंटवारा का सबूत नहीं– निर्णीत, निर्णय त्रुटिपूर्ण हैं व अपास्त किये तथा भूमि 4 विधि वारिसान के नाम बराबर हिस्सों में नामान्तरित की जावे।

4- RRD 1989 Lamuram v/s. State of Raj. पेज 45 से 47

जिसके अनुसार RajasthanLand Revenue Act, Section 75- Order Which is void ab initio can be challenged at any time- Appeal fild after more than 18 Years but immediately after knowledge,is not barred.(Para 4)

वकील अपीलान्ट की दलीलो का खण्डन करते हुये वकील रेस्पोडेन्ट संख्या–01 श्री गणपतलाल चौधरी ने बहस में प्रार्थना पत्र के जवाब के तथ्यो को दोहराते हुये दलील दी कि अपीलान्ट ने उक्त अपील नामान्तरकरण संख्या 79 स्वीकृति दिनांक 13.06.1971 के 48 वर्ष की कालावधि व्यतित होने पश्चात् बिना किसी उचित आधार के पेश की गई हैं। अपनी अपील में अपीलान्ट द्वारा उनके पिता की मृत्यु कब हुई इसके बार में कोई तारीख, मिती, सन्, संवत् नहीं लिखा हैं। अपने पिता की मृत्यु के बाद वादग्रस्त भूमि काबिज होकर कास्त करने के मनगढन्त तथ्य व्यक्त किये हैं। अपीलान्ट तमाम बाहर कमाते है, लेकिन गांव में आते जाते रहते है, जिससे उनके द्वारा यह कहानी रचना कि उनकी माता खीमीबाई के देहान्त के बाद राजस्व रेकर्ड देखने पर भूमि में अकेल रेस्पोडेन्ट संख्या–01 का नाम दर्ज होने की जानकारी हुई, मानने योग्य नहीं हैं। विवादास्पद म्यूटेशन को 48 वर्ष तक किसी प्रकार की चुनौती नहीं देना एवं 48 वर्ष बाद जिस भूमि के खातेदारी अधिकार रेस्पोडेन्ट संख्या–01 के नाम भू0प्रबन्ध पुर्व से दर्ज चले आ रहे है, उसको नामान्तरकरण अपील के माध्यम से चुनौती नहीं दी जा सकती। अपील को देरी से प्रस्तुत किये जाने बाबत् कोई युक्तियुक्त कारण अपीलान्ट द्वारा नहीं बताया गया है, जिससे मर्यादा अधिनियम के प्रावधानो अनुसार अपील खारिज योग्य होने से खारिज किये जाने की दलील दी गई। अपनी दलीलो के समर्थन में विद्ववान् वकील रेस्पोडेन्ट संख्या–01 श्री गणपतलाल चौधरी द्वारा निम्न कानूनी उद्धहरण पेश किये गये:–

1. **RRT 2017 (1) v.s. Mertiya(smt.)thr. His L.Rs. v/s Jodhana Real Estate Development Company pvt. Ltd** पेज 117 से 119

जिसके अनुसार परिसीमा अधिनियम, 1963–धारा 5–सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908–धारा 100–विलम्ब का शमन– अपील पेश करने में 2344 दिनों का विलम्ब– मुवक्किल की निष्क्रियता और सुस्ती– उदार दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता अन्यथ यह मियान कानून को निर्थक और फालतू बना देगा– विलम्ब स्पष्ट करने हेतु पर्याप्त कारण नहीं– निर्णीत, प्रार्थना पत्र व अपील खारिज होने योग्य हैं।

2. **RRT 2006-07(Supp.) Murlidhar v.s.Ghewarchand & Ors.** पेज 35 से 37

जिसके अनुसार परिसीमा अधिनियम, 1963–धारा 5–राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956– धारा 84–निगरानी–नामान्तरकरण के आदेश के विरूद्व 30 वर्ष वाद अपील पेश की– विलम्ब का उपशमन– पर्याप्त कारण– प्रार्थी" जी" का जायन्दा लडका है लेकिन उसका नाम नामान्तरकरण में दर्ज नहीं किया– विलम्ब उपशमन हेतु निचले न्यायालयों ने पर्याप्त कारण नहीं पाया– अप्रार्थीगण का कब्जा और लगान अदा कर रहे हैं– प्रार्थी के पास उसके अधिकारों की घोषणा के लिये नियमित वाद पेश करने का उपचार है– निर्णित, नियमित वाद के निर्णय तक भूमि विक्रय अथवा अन्तरित करने से अप्रार्थीगण को पाबन्द किया– निचले न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय अपास्त किये।

उक्त कानूनी उद्धहरणो में प्रतिपादित सिद्वान्तो के अनुसार परिसीमा अधिनियम, 1963 के प्रावधानो अनुसार धारा 5 का प्रार्थना पत्र व अपील खारिज किये जाने की दलील दी।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन से हस्तगत् प्रकरण में यह जाहिर हैं कि अपीलान्ट द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत बेडा द्वारा स्वीकृत ग्राम बेडा के नामान्तरकरण संख्या 79/13.06.1971 को त्रुटिपुर्ण होने से निरस्त करने की मांग करते हुये ग्राम बेडा स्थित भूमि गत् खसरा नंबर 1818/6 के मिलान क्षैत्रफल अनुसार बने हाल खसरा नंबर 1931 रकबा 1.14 हैक्टर में स्व. गिरधारीलाल के समस्त विधिक वारिशान अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या–01 के नाम नये सिरे से नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जाने की मांग की गई हैं। इसके विपरित अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–01 द्वारा इसका खण्डन करते हुये बताया गया हैं कि भू0प्रबन्ध पुर्व से वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या–01 के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की चली आ रही है। अपीलान्ट द्वारा इतनी लम्बी अवधि 48 वर्ष बाद नामान्तरकरण अपील के माध्यम से रेस्पोडेन्ट के खातेदारी अधिकारो को चुनौती दी है, जो म्यूटेशन अपील के माध्यम से वादग्रस्त भूमि से रेस्पोडेन्ट संख्या–01 के खातेदारी अधिकारो को निरस्त नहीं किया जा सकता। दोनों पक्षो के विद्वान् वकुलाय की दलीलो पर मनन किया गया एवं परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा–5 में वर्णित प्रावधानो का भी अध्ययन किया। धारा–5 मर्यादा अधिनियम के प्रावधानो अनुसार डीले को कन्डोन करने के लिये प्रार्थी को समूचित कारण दर्शित करना होता है। उक्त प्रकरण में अपीलान्टस को अपनी पुश्तैनी भूमि के संबध में दाखिल नामान्तरकरण की जानकारी 48 वर्ष तक नहीं होने की मांग स्वीकार योग्य नहीं हैं। विद्वान् वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत कानूनी उद्धहरण भी हस्तगत् प्रकरण की परिस्थितियों पर चश्पा नहीं होते है।

पेज लगातार.....04

Scanned by CamScanner

राजस्व अपील संख्या 01/2019 अनवान पुखराज वगैरा बनाम छोगाराम वगैरा
अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956
(प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मर्यादा अधिनियम)

इसके विपरित अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा जो कानूनी उद्धहरण पेश किये गये है, इन कानूनी उद्धहरणो की परिस्थितियॉ हस्तगत् प्रकरण की परिस्थितियों पर हूबहू चश्पा होती है एवं इन कानूनी उद्धहरणो में माननीय राजस्व मंडल, अजमेर एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने निर्णयो में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि अपील देरी से प्रस्तुत करने पर विलम्ब होने पर मुवक्किल की निष्क्रियता और सुस्ती–उदार दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता अन्यथा यह मियाद कानून को निरर्थक और फालतू बना देगा। जिससे अपीलान्ट द्वारा ग्राम बेडा के नामान्तरकरण संख्या 79 स्वीकृति दिनांक 13.06.1971 के विरूद्व प्रस्तुत उक्त अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मर्यादा अधिनियम 48 वर्ष की कालावधि को कन्डोन किये जाने बाबत् कोई युक्तियुक्त कारण दर्शित नहीं करने से खारिज किया जाता हैं। प्रार्थना पत्र धारा 5 खारिज होने से प्रस्तुत अपील भी खारिज की जाती हैं। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उप - खण्ड अधिकारी, बाली

आदेश आज दिनांक 30-7-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, बाली

उप - खण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner